इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल 2021—चैत्र 29, शक 1943

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2021

मध्यप्रदेश राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल हस्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए बनाए गए पूर्व के समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

"पुरस्कार नियम—2021"

1. **संक्षिप्त नाम** — इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश पुरस्कार नियम 2021" है ।

2. **नियमों का उद्देश्य** — इन नियमों का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं विख्यात खिलाड़ियों की उपलब्धियों हेतु पुरस्कार प्रदान किया जाना।

3. **परिभाषाएँ** — इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "साहसिक खेल" से अभिप्रेत जल (समुद्र), जमीन एवं वायू से आधारित गतिविधि से है, जिसमें माउण्ट एवरेस्ट, इंग्लिश चैनल (व्यक्तिगत श्रेणी) एवं इस स्तर की होने वाली अन्य गतिविधियाँ;

(ख) "अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है विभिन्न देशों के द्वारा आयोजित होने वाली विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल से आयोजित होने

वाले) एशियन गेम्स, राष्ट्रमण्डल खेल, साऊथ एशियन गेम्स एवं भारत सरका द्वारा वित्त पोषित अथवा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगित तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं दिव्यांगों के लिए आयोजित अन्तर्राष्ट्रीर प्रतियोगिता / चैम्पियनशिप;

(ग) "अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, जूनियर एवं सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, जो वर्ष में 01 बार आयोजित की जाती है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है;

(घ) "अधिकृत राष्ट्रीय खेल" से अभिप्रेत भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा 02 वर्ष के अन्तराल में आयोजित किए जाने राष्ट्रीय खेल;

(ङ) "अधिकृत / मान्यता प्राप्त खेल" से अभिप्रेत है, ओलम्पिक / एशियन / राष्ट्रमण्डल / राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेल तथा बिलियर्ड–स्नूकर, क्रिकेट, शतरंज एवं मल्लखम्ब खेल । यदि बिलियर्ड–स्नूकर, क्रिकेट, शतरंज एवं मल्लखम्ब खेल के राष्ट्रीय महासंघ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नही करते, तो ऐसी स्थिति में उनके राष्ट्रीय महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर विचार किया जाएगा;

(च) "समिति" से अभिप्रेत शासन / संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा गठित समिति;

(छ) "दिव्यांग" से अभिप्रेत है, प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्णित मापदण्डों के अनुसार यथा परिभाषित विकलांगता;

(ज) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र.;

(झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग;

(ञ) "भारत सरकार" से अभिप्रेत है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली;

(ट) "खेल अकादमी" से अभिप्रेत है, खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित खेल अकादमी / खेल प्रशिक्षण केन्द्र / खेल छात्रावास / फीडर सेन्टर;

(ठ) "विगत वर्ष" से अभिप्रेत है, आवेदन वाले वर्ष के पिछला वित्तीय वर्ष;

(ड) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी / स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारक (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में, आवेदक को कम से कम 10 वर्ष से मध्यप्रदेश में निवासरत् होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा);

(ढ) "अकादमी के खिलाड़ी" से अभिप्रेत है, कि मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में प्रवेशरत मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी खिलाड़ी अथवा जो खिलाड़ी मध्यप्रदेश के मूल निवासी नही है, किन्तु विगत 03 वर्ष से अकादमी में प्रशिक्षणरत् है;

(ण) "अन्य खेल" से अभिप्रेत है, कि ऐसे खेल जो ओलम्पिक/एशियन/कॉमनवेल्थ गेम्स एवं भारत के राष्ट्रीय खेलों में नहीं खेले जाते हों, परन्तु उन खेलों का पंजीकृत राष्ट्रीय महासंघ/एसोसिएशन हो;

(त) "खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती" से अभिप्रेतह है, सामान्य/दिव्यांग श्रेणी के खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती;

(थ) "मान्यता प्राप्त खेल संघ" से अभिप्रेत है, कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघ एवं उनकी राज्य ईकाइयाँ;

(द) "दिव्यांग खिलाड़ियों की खेल प्रतियोगिता" से अभिप्रेत है, कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त Indian Blind Sports Assossiation (IBSA), Indian Paralympic Committee (IPC) and All India Sports Council Of the DEAF (AISCD) द्वारा दिव्यांगों के लिये आयोजित प्रतियोगिता;

4.1 विक्रम पुरस्कार के लिए उद्देश्य तथा पात्रता के मापदण्ड –

(1) प्रदेश के सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ (Senior) खिलाड़ियों को जब वे अपनी सफलता की ऊंचाई पर हों, प्रोत्साहित करना ताकि उनकी खेल प्रतिभा तथा खेलों में योगदान को अविस्मरणीय बनाया जा सके।

(2) आवेदक द्वारा व्यक्तिगत खेल में सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षों में मध्यप्रदेश के लिए कम से कम 02 वर्ष तक पदक प्राप्त किए हो तथा दलीय खेल में सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षों में मध्यप्रदेश के लिए 01 पदक प्राप्त किया हो ।

अथवा

व्यक्तिगत खेल में सीनियर वर्ग की अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैमिपयनशिप में विगत 05 वर्षों में देश के लिए कम से कम 01 पदक प्राप्त किया हो तथा दलीय खेल में सीनियर वर्ग की अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षों में कम से कम 01 बार देश का प्रतिनिधित्व किया हो ।

(3) व्यक्तिगत एवं दलीय खेलों में अंकों की गणना विगत 05 वर्ष की अवधि में सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।

(4) प्रतिवर्ष अधिकतम 12 (बारह) विक्रम पुरस्कार वरीयता व समिति की अनुशंसा के आधार पर दिए जावेंगे,

- 06 पुरस्कार – व्यक्तिगत खेल,
- 03 पुरस्कार – दलीय खेल,
- 01 पुरस्कार – दिव्यांग श्रेणी
- 01 पुरस्कार – अन्य खेल
- 01 पुरस्कार – साहसिक खेल

(5) साहसिक खेल श्रेणी :–

(1) आवेदक द्वारा विगत 05 वर्षो में साहसिक गतिविधि में निरन्तर भागीदारी करते हुए जमीन, वायू एवं जल (समुद्र) में से किसी एक साहसिक गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विशेष उपलब्धि अर्जित की हो ।

(2) साहसिक खेल श्रेणी में पुरस्कार की अनुशंसा उपलब्धि एवं वरिष्ठता के आधार पर की जावेंगी ।

5.1 एकलव्य पुरस्कार के लिए उद्देश्य तथा पात्रता के मापदण्ड –

(1) सर्वोत्कृष्ट जूनियर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना जब वे अपनी सफलता की ऊंचाई पर हों, ताकि उसकी खेल प्रतिभा उसका आधार स्तम्भ बन सके।

(2) आवेदक की आयु आवेदन वाले वर्ष की दिनांक 31 मार्च को 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(3) आवेदक द्वारा व्यक्तिगत खेल में जूनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षो में मध्यप्रदेश के लिए कम से कम 02 वर्ष तक पदक प्राप्त किए हो तथा दलीय खेल में जूनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षो में मध्यप्रदेश के लिए 01 पदक प्राप्त किया हो ।

अथवा

व्यक्तिगत खेल में जूनियर वर्ग की अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैमिपयनशिप में विगत 05 वर्षो में देश के लिए पदक प्राप्त किया हो तथा दलीय खेल में जूनियर वर्ग की अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षो में कम से कम 01 बार देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(4) व्यक्तिगत एवं दलीय खेलों में अंकों की गणना विगत 05 वर्ष की अवधि में जूनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।

(5) प्रतिवर्ष अधिकतम 15 (पन्द्रह) एकलव्य पुरस्कार वरीयता व समिति की अनुशंसा के आधार पर दिए जावेंगे:–

- 09 पुरस्कार – व्यक्तिगत खेलों
- 03 पुरस्कार – दलीय खेल
- 01 पुरस्कार – दिव्यांग श्रेणी
- 01 पुरस्कार – अन्य खेल
- 01 पुरस्कार – साहसिक खेल

6.1 **विश्वामित्र पुरस्कार के लिए उद्देश्य तथा पात्रता के मापदण्ड –**

(1) प्रदेश के ऐसे प्रशिक्षकों का सम्मान, जिन्होंने प्रदेश के पदक विजेता राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो।

(एक) पात्रता हेतु प्रशिक्षक द्वारा विगत 5 वर्षों की उपलब्धि का ही आकंलन किया जाएगा।

(दो) आवेदन वाले वर्ष में 31 मार्च को आवेदक की आयु मम से कम 40 वर्ष होना अनिवार्य है।

(तीन) प्रशिक्षक, अधिकृत संस्थान से स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा धारक होना चाहिए, जिन खेलों में स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा नहीं होता है, उन खेलों में फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षकों के लिये आयोजित सर्टीफिकेट कोर्स/लाईसेंस होना अनिवार्य होगा।

(चार) प्रतिवर्ष अधिकतम 03 (तीन) प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिये जावेंगे, यदि वे पात्रता पूरी करते हों, जिसमें से 2 (दो) व्यक्तिगत खेल एवं 01 (एक) दलीय खेल में दिया जावेगा।

(पाँच) पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा की जावेंगी ।

(छः) आवेदक से प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा विगत 05 वर्षो में अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में 02 स्वर्ण अथवा 04 रजत अथवा 06 कांस्य पदक अर्जित किए हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ/अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक अर्जित किया हो ।

7. **जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार (Life Time Achievement Award) के लिए उद्देश्य तथा उसकी पात्रता व शर्ते –**

जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार (Life Time Achievement Award) के उद्देश्य और उसकी पात्रता शर्ते निम्नानुसार होगीः

(1) जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार (Life Time Achievement Award) उन खेल हस्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाएगा जिन्होंने खेलों में योगदान दिया है तथा जिन्होंने राज्य में खेलों के विकास में योगदान दिया है;

(2) खेल हस्ती जिसने पिछले 15 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर खेलों के विकास और विस्तार तथा साथ ही साथ राज्य में पिछले पन्द्रह वर्षो में खेलों के विकास एवं विस्तार की सुविधाओं में योगदान दिया हो । इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिता आयोजित करने में विशेष योगदान दिया हो जिसके आधार पर प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाया हो ।

(3) यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को भी प्रदान किया जाएगा जिनके खिलाड़ियों ओलम्पिक, पैरालिम्पिक एवं एशियन गेम्स में पदक/प्रतिभागिता की हों;

(4) प्रतिवर्ष अधिकतम एक जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार (Life Time Achievement Award) दिया जा सकेगा।

(5) समिति बिना आवेदन आमंत्रित किए खेल हस्ती की अनुशंसा करेगी ।

8. स्व.श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार का उद्देश्य तथा उसकी पात्रता व शर्ते –

स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के उद्देश्य और उसकी पात्रता व शर्ते निम्नानुसार होगी:

(1) मल्लखम्ब के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी को, जब वे अपनी सफलता की ऊंचाई पर हों, प्रोत्साहित करना, जिससे कि मल्लखम्ब खेल के प्रति आकर्षण बढ़े तथा खेलकूद के विकास को बढ़ावा प्राप्त हो ।

(2) आवेदक द्वारा सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय मल्लखम्ब चैम्पियनशिप में विगत 05 वर्षों में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कम से कम 02 वर्ष तक पदक प्राप्त किए हो ।

अथवा

सीनियर वर्ग की अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय मल्लखम्ब चैमिपयनशिप में विगत 05 वर्षो में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(3) व्यक्तिगत एवं दलीय खेलों में अंकों की गणना पिछले 05 वर्षो में सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।

(4) 01 वर्ष में केवल 01 खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जावेंगा।

(5) प्रबंधक एवं प्रशिक्षक पुरस्कार के पात्र नहीं होगे।

). पुरस्कार प्रदान करने के सामन्य नियम :–

(1) पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन का तरीका :

(एक) प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित खेल संघ/खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती से इन नियमों के अंतर्गत पुरस्कार हेतु 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जावेंगे।

(दो) संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश को खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) सामान्य शर्ते :–

(एक) आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है किन्तु प्रदेश के बाहर का ऐसा आवेदक भी विक्रम एवं एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार होगा, जो खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में विगत 3 वर्षों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो ।

(दो) पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी ।

(तीन) जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार (Life Time Achievement Award) एवं साहसिक खेल श्रेणी के अतिरिक्त शेष पुरस्कारों हेतु मूल्यांकन का आधार संलग्न तालिका में दर्शाए अनुसार प्राप्त अंक होंगे । साहसिक खेल की श्रेणी में प्राथमिकता (जिसने पहले साहसिक गतिविधि पूर्ण की हो) के आधार पर पुरस्कार हेतु चयन किया जावेंगा ।

(चार) वे प्रमाण पत्र जिनके आधार पर खिलाड़ी को पुरस्कार प्राप्त होता है, उनकी गणना आगामी वर्षो में अन्य किसी पुरस्कार के लिए नहीं की जाएगी।

(पाँच) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है, किन्तु विषम परिस्थिति में पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आने में असमर्थ है, तो उसके स्थान पर परिवार का कोई सदस्य संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र. से अनुमति प्राप्त कर समारोह में पुरस्कार लेने हेतु उपस्थित हो सकेगा ।

(छः) पुरस्कार उन्हीं खेलों में दिये जाएंगे, जो ओलम्पिक/एशियन गेम्स/राष्ट्र मण्डल खेल अथवा भारत के "राष्ट्रीय खेल" में सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त शतरंज, क्रिकेट, बिलियर्ड–स्नूकर एवं मल्लखम्ब खेल तथा अन्य खेल में भी पुरस्कार दिये जा सकेंगे।

(सात) आवेदक ने पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्षो में अन्य राज्य की ओर से राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व न किया हो ।

(आठ) यदि मध्यप्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी द्वारा केन्द्रीय संस्थान, संगठन, अर्द्ध सैनिक बल आदि में नियुक्ति विभाग या संस्थान से प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की है तो वह आवेदक पुरस्कार हेतु पात्र माने जावेंगे ।

(नौ) यदि कोई आवेदक या टीम पुरस्कार वाले वर्ष में अनुशासनहीनता के आधार पर मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा अधिकृत चैम्पियनशिप (प्रतिस्पर्धा) से निष्कासित किया गया हो तो वह उस वर्ष के लिए पुरस्कार का पात्र नही होगा ।

(दस) नेशनल एन्टी डोपिंग एजेन्सी और वर्ल्ड एन्टी डोपिंग एजेन्सी द्वारा निष्कासित आवेदक पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे।

(ग्यारह) पुरस्कार के पूर्व आवेदक के अनुशासन, सामान्य व्यवहार तथा चरित्र का भी ध्यान रखा जावेगा, आवेदक की ओर से किसी भी प्रकार का दबाव, सिफारिश या प्रलोभन उसकी अयोग्यता का कारण बन सकता है ।

(बारह) एक पुरस्कार एक व्यक्ति को एक ही बार दिया जावेगा।

(तैरह) प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक/एशियन गेम्स अथवा राष्ट्रमण्डल खेल के आयोजन वर्ष में भाग लेकर पदक प्राप्त किये हों किन्तु पूर्व में विक्रम पुरस्कार प्राप्त न किया हो, उसी वर्ष में विक्रम पुरस्कार के पात्र होंगे। इसके लिए पदक विजेता खिलाड़ी से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और न ही आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की बाध्यता होगी।

(चौदह) ऐसे प्रशिक्षक जिनके खिलाड़ियों ने ओलम्पिक/एशियन गेम्स अथवा राष्ट्रमण्डल खेल के आयोजन वर्ष में भाग लेकर पदक प्राप्त किया हो, वह भी विश्वामित्र पुरस्कार हेतु उस वर्ष में शासन स्तर से गठित समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व आवेदन कर सकेगे तथा इसके लिए अंतिम तिथि की बाध्यता नहीं होगी।

(पन्द्रह) यदि एक से अधिक खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती पुरस्कार हेतु पात्र होते है, तो उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होने ओलम्पिक खेल में खेले जाने वाले खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो ।

10. चयन –

समिति द्वारा आवेदनों की जांच खेल की लोकप्रियता, खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी व उक्त खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर करेगी और उस पर शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा इस निर्णय के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जाएगा ।

11. पुरस्कार राशि और अन्य भत्तों के भुगतान की रीति :

पुरस्कार राशि और अन्य भत्तों के भुगतान की रीति निम्नानुसार होगी :–

(1) नगद पुरस्कार के रूप में एकलव्य पुरस्कार हेतु राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र) प्रत्येक एवं शेष सभी पुरस्कारों हेतु रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख) के नगद भुगतान के साथ सेरेमॉनियल किट, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएंगे ।

(2) पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी/प्रशिक्षक/खेल हस्ती को उनके निवास स्थान से समारोह के स्थान तक का दोनों ओर का प्रथम श्रेणी क`यात्रा भत्ते की पात्रता होगी ।

(3) पुरस्कृत किए गए खिलाड़ियों के आवास, भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था की विभाग द्वारा की जाएंगी ।

12. एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र एवं स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार हेतु अंक देने वाली तालिका :

	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्तर	स्वर्ण	रजत	कांस्य	भागीदारी
	2	3	4	5	6

	• ओलम्पिक गेम्स/पैरा ओलम्पिक गेम्स • विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (चार वर्ष के अन्तराल से आयोजित होने वाले	पदक प्राप्त खिलाड़ी/प्रशिक्षक पुरस्कार हेतु पात्र होंगे			300
	• एशियन गेम्स/पैरा एशियन गेम्स				200
3.	• राष्ट्रमण्डल खेल	200	150	100	50
4.	• एशियन चैम्पियनशिप/ कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप /साउथ एशियन चैम्पियनशिप /साउथ एशियन गेम्स तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इस स्तर की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	100	75	50	20
5	• अधिकृत राष्ट्रीय खेल	40	30	20	—
6	• अधिकृत वरिष्ठ (senior) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (विक्रम, स्व.श्री प्रभाष जोशी एवं विश्वामित्र पुरस्कार)	30	20	10	—
7	• अधिकृत कनिष्ठ (junior) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (एकलव्य एवं विश्वामित्र पुरस्कार)	20	15	08	—

नोट :–

1. अधिकारिक भारतीय ओलम्पिक संघ/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में केवल उपलब्धि पाने वालों का चयन हेतु परीक्षण किया जाएगा ।
2. यदि पुरस्कारों की संख्या चूंकि सीमित है तथा केवल एक खिलाड़ी एक खेल में चयनित हुआ है, इस प्रकार का चयन कुल प्राप्त अंको के क्रम में किया जाएगा।
3. लाईफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड एवं साहसिक खेल श्रेणी के अतिरिक्त शेष पुरस्कारों हेतु मूल्यांकन का आधार तालिका में दर्शाए अनुसार प्राप्त अंक होंगे । साहसिक खेल की श्रेणी में प्राथमिकता (जिसने पहले गतिविधि पूर्ण की हो) के आधार पर पुरस्कार हेतु चयन किया जावेगा ।
4. बिन्दु क्रमांक 10 की अंक तालिका के सरल क्र 04 में जो चैम्पियनशिप/टूर्नामेन्ट/गेम्स/कप उल्लेखित नही है, परन्तु वह अंक तालिका में उल्लेखित प्रतियोगिताओं के समतुल्य है, तो समिति उन चैम्पियनशिप/टूर्नामेन्ट/गेम्स/कप में अर्जित पदक/भागीदारी हेतु अंक दे सकेगी।
5. रैकिंग तथा आमंत्रित श्रेणी की अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार हेतु मान्य नही होगी ।

संशोधन – शासन इन नियमों में शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन आवश्यकतानुसार कर सकेगा ।

निरसन – इस नियम के प्रभावशील होते ही पूर्व से प्रचलित नियम और विज्ञप्तियाँ निरस्त हो जाएंगी। उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे।

No. F-2-15-2019-IX.-

In suppression of this department's all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following rules for conferring the awards to sportsperson, coaches and sports personalities of Madhya Pradesh, namely: -

"Rules"

1. **Short title**- These rules may be called the Madhya Pradesh Award Rule-2021.

2. **Object of the rules** – The object of these rules shall be to confer awards to sportspersons, coaches and eminent sports person of the state for their excellent achievements in the sports field.

3. **Definitions**- In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Adventure Sports" means activities based on water (sea), land and air, such as Mount Everest and the English Channel and other adventure activities at this level.

(b) "Authorized International Championships" means World Cup/World Championship (to be held in 04 year interval), Asian Games, Commonwealth Games, South Asian Games organized by different countries and other funded or approved International championship by Government of India, International Cricket matches and Authorize International Championship/Competition of Para category.

(c) "Authorized National Championship" means Junior and Senior National Championships which are held once in a year and organized by the National Sports Federation who is recognised from Government of India.

(d) "Authorized National Games" means National Games organised by Indian Olympic Association in an interval of 02 years.

(e) "Authorized / Recognized Sports" means, sports included in the Olympics /Asian /Commonwealth/National Games and Billiard-Snooker, Cricket, Chess & Mallakhamb. If the national federation of Billiard-Snooker, Cricket, Chess & Mallakhamb games did not get recognition from Government of India, in that case authorize national championship organized by these national federations will be considered.

(f) "Committee" means the Committee constituted by the Government/Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh.

(g) "Divyang" means the disability defined as per the criteria decided by the Department of Social Justice of the State.

(h) "Director" means the Director Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh.

(i) "Government" means the Government of Madhya Pradesh, Department of Sports and Youth Welfare.

(j) "Government of India" means the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, New Delhi.

(k) "Last Year" means the last financial year in which the application was made.

(l) "Native" means the holder of a native/local resident certificate issued by the competent authority (in the case of proof of a local resident certificate, the applicant must produce at least 10 years proof of residence in Madhya Pradesh).

(m) "Other sports" means sports that are not played in Olympic / Asian Games / Commonwealth Games as well as in the National Games, but those games should have registered national federation / association.

(n) "Player of the Academy" means player trained in Madhya Pradesh State Sport Academies, who is native/local resident of Madhya Pradesh or a player who is not native of Madhya Pradesh, but he/she has been training in the academy since 03 years.

(o) "Player/Coach/Sports Person" means general/differently abled (Divyang) player/coach/sports person.

(p) Recognized Sports Association" means the sports association and their state units recognised by the Government of India.

(q) "Sports Academy" means Sports Academy / Training Centre / Sports Hostel / Feeder Centre operated by Department of Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh.

(r) "Sports competitions of Divyang Players" means that Competition organized by Indian Blind Sports Assossiation (IBSA), Indian Paralympic Committee (IPC), All India Sports Council of the DEAF (AISCD).

4. Object and eligibility criteria for Vikram Award -

The following shall be the objects of the Vikram Award -

(1) To encourage the best senior players of the state when they are at the height of their success and to encourage their talent and contribution to make it unforgettable.

(2) The applicant must has obtained at least 02 medals for the State of Madhya Pradesh in the last 5 years in the authorized national championship of senior category in individual sports and at least 01 medal for the State of Madhya Pradesh in the last 5 years in the authorized national championship of senior category in team sports.

Or

The applicant must have obtained at least 01 medal for country in the last 5 years in the authorized international championship of senior category in individual sports and has represented the country at least one year in an authorized international championship of senior category in team sports in the last five years.

(3) The score for individual and team sports shall be calculated on the basis of the achievements in the senior category for the last five years.

(4) Maximum 12 (twelve) Vikram Awards shall be conferred every year on the preference basis of preference & on the recommendation of Committee: -

06 Awards - Individual Sports,
03 Awards - Team Games,
01 Awards - Para Category (Divyang)
01 Award - Other Sports
01 Award - Adventure Sports

(5) Adventure Sports Category –

(i) The applicant has achieved special achievement in adventure activities in last 05 years, by continuous participation with excellent performance in one of the adventure sports based on land, air and water (sea).

(ii) The award in the Adventure Sports category will be recommended on the basis of achievement and seniority.

5. Object and eligibility criteria for the Eklavya Award -

The following shall be the object and eligibility criteria for conferring the Eklavya Award:

(1) To encourage the best junior players, when they are at the height of their success, so that their sports talent could become their pillars.

(2) The age of the applicant should be less than 21 years as on 31 March of the year of award.

(3) The applicant has obtained at least 02 medals for Madhya Pradesh State in the last 5 years in the authorized national championship of junior category in individual sports and at least 01 medal for State in the last 5 years in the authorized national championship of junior category in team sports.

Or

The applicant has obtained at least 01 medal for country in the last 5 years in the authorized international championship of junior category in individual sports and in the last 05 years in at least 01 year represented country in the authorized international championship of junior category in team sports.

(4) The score in individual and team sports will be calculated based on the achievements achieved in the junior category of the last five years.

(5) Every year a maximum of 15 (fifteen) Eklavya Awards will be given on the basis of preference & recommendation of Committee: -
09 Awards - Individual Sports,
03 Awards - Team Games,
01 Awards - Para Category (Divyang)
01 Awards - Other Sports
01 Awards - Adventure Sports

6. Object and eligibility criteria for the Vishwamitra Award: - The following shall be the object and eligibility criteria for the Vishwamitra Award:-

1. To honour the coaches of the State, who trained the National and International championships medal winner player –

   (i) For eligibility purpose, last five years achievements of the coach shall be assessed.

   (ii) Applicant's age should be at least 40 years as on 31 March of the year of award.

   (iii) The coaches should be a sports coaching diploma holder from the authorized institute and those sports which have no sports coaching diploma, it shall be mandatory to have certificate course / license organized by the federation for the coaches in those sports.

(iv) Vishwamitra Awards shall be conferred on 03 (three) coaches every year, if they fulfil the eligibility condition, out of which 02 (two) will be given in individual sports and 01 (one) team sports.

(v) Recommendations for the award will be given to the coaches of the players who have performed internationally.

(vi) In the last 05 years, 02 Gold or 04 Silver or 06 Bronze medals have been earned by the players trained by the applicant at authorized national championship or players earned medal at authorized international championship organized by the International Olympic Association/ International federation.

7. Object and eligibility criteria for the Life Time Achievement Award: -

The following shall be the object and eligibility criteria for the Life Time Achievement Award:-

(1) The life time achievement awards shall be conferred in the honour of those sports personalities who have contributed in the games and have also contributed in the development of the sports in the state.

(2) The sports person who has contributed for the development and expansion of sports in international and state level for the last 15 years, as well as the facility for the development and expansion of sports in the state in the last 15 years. In addition to this he has contributed in organizing the sports championship, on the basis of this the players of the state have made their place at international and national level.

(3) This award shall also be given to those coaches whose players earned medal/participated in Olympics/Paralympics or Asian games.

(4) Only one Life Time Achievement award shall be given every year.

(5) The committee shall recommend the sports person for award without inviting application.

8. Object and eligibility criteria for Late Shri Prabhas Joshi Khel Award: -

The following shall be the object and eligibility criteria for Late Shri Prabhas Joshi Khel Award: -

(1) To encourage the best players of Mallakhamb, when they are at the height of their success, so that Mallakhamb will increase the attraction towards the game and promote the development of sports.

(2) The applicant has obtained at least 02 medals for Madhya Pradesh in the last 5 years in the authorized national championship of senior category.

Or

The applicant has represented country in the last 5 years in the authorized international championship of senior category.

(3) The marks shall be calculated on the basis of achievements of the senior category of the last 05 years.

(4) Maximum 01 player shall be awarded in every year.

(5) The managers and coaches shall not be eligible for the award.

9. General Rules for Conferring the Awards : -

(1) The manner of submission of the application for receiving the award: -

(i) Every year online applications shall be received from the respective sports association / player / coaches/ eminent sports person by 31st July.

(ii) Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh shall have the right to receive the applications from the players directly.

(2) General Conditions: -

(i) Applicant must be a domicile of Madhya Pradesh but such applicants of other state may also be entitled for Eklavya, Vikram Award, who have been receiving training for the last 3 years in Madhya Pradesh State Sports Academy, run by Sports and Youth Welfare Department, Madhya Pradesh.

(ii) The year shall be counted for the award from 01st April to 31st March.

(iii) Apart from Life Time Achievement Award and Adventure Sports category rest of awards shall be on the basis of the marks obtained as shown in the table. In Adventure Sports category shall be made for the award on the basis of priority (who has mounted earlier).

(iv) The certificate on the basis of which the players receive the award, those certificates shall not be counted for any other award in the coming year.

(v) It is mandatory for the awardees to be present personally to receive the award, but due to odd circumstances, if he is unable to receive the award then any member of his family may present to receive the award with the permission of Director, Sports and Youth Welfare, Madhya Pradesh.

(vi) The awards shall be given only in those Sports, which shall be included in the "Olympic Games/Asian Games/Commonwealth Games or National Games of India. Apart from this, awards will also be given in Chess, Cricket, Billiard-snooker, Mallakhamb and other games.

(vii) The applicant has not represented the National Championships / National Games in the last three years on behalf of other state. In case if applicant has represented other state in the National Championships/National Games in last 03 year he/she will not be eligible for award.

(viii) The native sportsperson of Madhya Pradesh after their appointment in Central Institute, Organization, Armed Forces etc, will be eligible for the awards, if they participate in the National Championship/National Games on behalf of their department.

(ix) In the year of the award, if an applicant or team is disqualified from the Championships (Competition) authorized by the recognized organization for the indiscipline, and then the applicant shall not be eligible for the award in that year.

(x) The applicants who have been expelled from National Anti-Doping Agency (NADA), World Anti-Doping Agency (WADA) shall not be eligible for the award in that year.

(xi) The discipline, normal behaviour and character of the applicant shall also be taken into consideration before conferring award, any kind of pressure,

recommendation or encouragement on the part of the applicant may be the cause of his disqualification.

(xiii) An award will be given to a person only once.

(xiii) Players of the state who have received medals in the Olympics/Asian Games or Commonwealth Games organizing years but have not previously received the Vikram Awards shall be eligible for the Vikram Award in the same year. For this, there shall be neither requirement of application from the medal winning player nor any obligation of last date to submit the application.

(xiv) Such coaches whose players have received medals by participating in the Olympic/Asian Games or Commonwealth Games in organizing year shall also be elligible to apply for Vishwamitra Award in that year and there will be no obligation of last date.

(xv) If more than one player / coach / sports person is found eligible for the award, then preference shall be given to those who have performed in the games which are played in the Olympic Games.

10. Selection-

The committee on the basis of popularity and playing population of that game and participation in international competition shall recommend the eligible applicants for awards and the decision of the Government shall be final thereof and no representation shall be accepted.

11. The manner of payment of award money and other allowances -

The following shall be the manner for making the payment of award money and other allowances to the award winners:-

(1) The amount of Eklavya Award in the form of cash award is Rs. 1,00,000/ - (Rupees one lakh only) for each and rest of awards Rs. 2,00,000/ - (Rupees Two Lakhs) each and all the awardees will be given Ceremonial kit, momento & certificate.

(2) Awarded sportspersons who receive the award will be entitled to first class equivalent travel allowance on both sides from their place of residence to the place of ceremony.

(3) Arrangement will be made for accommodation, food and transport for the award winning players.

10. Marking Table for Ekalavya, Vikram, Late. Shri Prabhas Joshi Khel and Vishwamitra Award

S.	competition of National / Internationallevel	Gold	Silver	Bronze	Partnership
1	2	3	4	5	6
1	• Olympic Games / Para Olympic Games • World Cup/ World Championship (to be held at four year intervals)	Medalist player / Coaches will be eligible for the award			300

2	• Asian Games / Para Asian Games				200
3	• Commonwealth Games	200	150	100	50
4	• Asian Championship/Commonwealth Championship/ South Asian Championship/ South Asian Games and other international championship of these levels which is recognised by Govt. of India.	100	75	50	20
5	• Authorise National Games	40	30	20	-
11	• Authorise Senior National Championship (Vikram, Late. Prabhas Joshi & Vishwamitra Award)	30	20	10	-
12	• Authorise Junior National Championship (Eklavya & Vishwamitra Award)	20	15	08	-

Note:

1. Only the achievement obtained in the official National / International Championship recognized by the Indian Olympic Association / Government of India will be examinable for selection.
2. Since the number of awards is limited and only one player is to be selected in a game, hence the selection will be made in order of total marks obtained.
3. Apart from Life Time Achievement Award and Adventure Sports category rest of awards will be the marks obtained as shown in the table. In Adventure Sports category will be made for the award on the basis of priority (who has mounted earlier).
4. Any Championship/Tournament/Games/Cup which is not mentioned in the point no. 10 row no. 04 in Marking table, but they are equivalent to the Championship/Tournament/Games/Cup mentioned in the marking table, then the committee will be able to give points for the achievement of these Championship/Tournament/Games/Cup.
5. International/National championship of ranking & invitational category will not be considered for award.

Amendment-

The administration can relax / change / amend these rules as required.

- **Repeal-** Once this rule comes into effect, the pre-existing rules and releases will be cancelled. The said rules shall be deemed effective from the date of publication in the Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.